

मुख्य अभियंता-2, (गया) का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-2/निविदा-09-237/25-1120  
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 04.07.25

ई0 अनिल कुमार,  
मुख्य अभियंता-2, (गया)  
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, सासाराम।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भमुआ के अधीन शीर्ष (MGSY) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु  
योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-"SETU/MGSY/24-25/Bhabhua/02"(टेन्डर आई0डी0-140458) में  
पुल निर्माण कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (नि0) मु0से0यो0-385/2025-3374 अनु0 पटना, दिनांक-01.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भमुआ के अधीन शीर्ष (MGSY) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत अन्तर्गत पैकेज संख्या-"SETU/MGSY/24-25/Bhabhua/02"(टेन्डर आई0डी0-140458) में पुल निर्माण कार्य आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भमुआ के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर उद्भूतकर्ता Kudra Construction Limited (Bid ID-615837) को उनके द्वारा उद्भूत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -21.08 (इक्कीस दशमलव शून्य आठ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 3,50,48,247 (तीन करोड़ पचास लाख अड़तालीस हजार दो सौ सैंतालीस) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (नि0) मु0से0यो0-385/2025-3374 अनु0 पटना, दिनांक-01.07.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये राशि एवं एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
6. अधीक्षक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे की पथ स्वीकृत पुल जिस पथ के आरेखण में है, उस के हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

KUDRA CONSTRUCTION LTD.

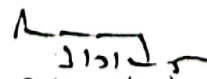
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, भमुआ

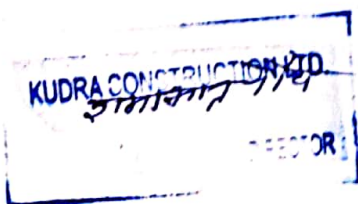
11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।
14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाय।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष (MGSY) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत से विकलित होगा।
16. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
18. एकरारनामा से पहले निविदाता द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (मोबाईल नम्बर) एवं ईमेल आईडी0 कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी भूमि पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
25. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
26. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
27. विभागीय पत्रांक मु0अ0-2/निविदा-05-208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
28. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
मुख्य अभियंता-2, (गया)



कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल अभिभा